न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 383 सन 2022

अनवान :—

1. हंसराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. जसवन्त सिह पुत्र पृथ्वीसिह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. निको पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. मुकेश पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. राजबाला पत्नी भूराराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. राममूर्ति पत्नी दलीपसिह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. रामेश्वर पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. लीलुराम उर्फ लीलाधर पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. शान्ती पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
9. समेस्ता पुत्री भूराराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
10. जसवन्त पुत्र जगरसिह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
11. पूर्णचन्द पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
12. रतनलाल पुत्र जगरसिह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
13. रूलीचन्द पुत्र जगरसिह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
14. रामस्वरूप पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री भरतसिह बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :— 10/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 472/433 की कुल 4.0480हैक भूमि में वादी का 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 3/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1687/40480हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 1687/40480हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 का 3/16 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 का 1/16 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 7 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 का 843/20240 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा एवं रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 473/434 की कुल 15.6860हैक भूमि में वादी का 7/62 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/31 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 5903/156860 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 1476/39215 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का 1/31 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 का 5903/156860हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 का 28673/156860 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 का 5/62 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 12 का 28673/156860हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 13 का 14337/78430 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 14 का 5/62 हिस्सा के खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है जिससे वादी एव प्रतिवादीगण का वाद भूमि काश्त एवं लगान को झगडा रहता है प्रतिवादीगण वादी की अच्छी किस्म की भूमि हडप करना चाहते है

मुश्तरका खाते की भूमि में वादी का वाद की मद संख्या 5 के अनुसार भूमि कब्जा काश्त में है जिसे वादी ने अपनी मेहनत से उपजाउ बनाई गई है इसी अनुसार भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी अपने कब्जा काश्त के अनुसार अर्थात वाद की मद संख्या 5 के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा कब्जा काश्त की भूमि का राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों

तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एव प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज भूमि में से वाद की मद संख्या 5 के अनुसार भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसका वादी एव प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया जो राजीनामा/ईकबाल दावा में दर्ज है जिसके अनुसार मुश्तरका खाते की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 15 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 472/433 की कुल 4.0480हैक्‍ भूमि में वादी का 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 3/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1687/40480हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 1687/40480हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 का 3/16 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 का 1/16 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 7 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 का 843/20240 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा एवं रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 473/434 की कुल 15.6860हैक्‍ भूमि में वादी का 7/62 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/31 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 5903/156860 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 1476/39215 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का 1/31 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 का 5903/156860हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 का 28673/156860 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 का 5/62 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 12 का 28673/156860हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 13 का 14337/78430 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 14 का 5/62 हिस्सा के खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसका वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 के मध्य राजीनामा हो चुका है जो प्रस्तुत किया जा चुका है जिसके अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद/कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

कारी

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 472/433 की कुल 4.0480हैक एव रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 473/434 की कुल 15.6860हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि जो वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वादी एव प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 472/433 की कुल 4.0480हैक एव रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 473/434 की कुल 15.6860हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के पास प0न0 368/413(299) किला न0 19 ,20/0.506हैक प0न0 368/414(302) किला न0 9 ,10/0.506 , व प0न0 367/414(301) किला न0 6/0.2530हैक भूमि रहेगी, प्रतिवादी संख्या 2 ,6 ,7 ,8 के पास प0न0 367/413(300) किला न0 18 ता 23/1.518हैक भूमि रहेगी, प्रतिवादी संख्या 5 के पास प0न0 368/413(299) किला न0 21 ,22/0.506हैक , प0न0 367/414(301) किला न0 5/0.2530हैक तथा प0न0 368/414(302) के किला न0 1, 2/0.506हैक भूमि रहेगी , प्रतिवादी संख्या 10 ,12 ,13 के पास प0न0 366/409(193) किला न0 24 ,25/0.506 , प0न0 366/410(196) किला न0 4 ता 7 ,14 ता 17 /2.0240हैक प0न0 367/409(192) के किला न0 17 ता 24/2.0240हक प0न0 367/410(197) किला न0 1 ता 4 ,7 ता 14 ,17 ता 20/4.0480हैक कुल 8.602हक भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 14 के पास प0न0 367/414(301) किला न0 14 ,15 ,16 ,25/1.012हैक , प0न0 368/414(302) किला न0 21/0.2530 कुल 1.265हैक भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 11 के पास प0न0 368/414(302) किला न0 11 ,12, 19 ,20 ,22/1.2650हैक भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 3 ,4व 9 के पास प0न0 367/413(300) किला न0 16/1 की 0.228 ,16/2 की 0.025हैक गै0मु0रास्ता , 17/0.2530 ,24/0.2530 ,25/1 की 0.228, 25/2 0.025हैक गै0मु0रास्ता तथा प0न0 367/301(301) किला न0 2 ता 4, 8 ,9/2.0227हैक भूमि रहेगी तथा वादी के पास प0न0 367/414(301) किला न0 7 ,12 ,13 ,17 ,18 ,19 ,22 ,23, 24/2.2770हैक भूमि रहेगी तथा प0न0 367/414(301) किला न0 6 दक्षिण दिशा में 1 बिस्वा रास्ता रहेगा इसके बदले में किला न0 7 व 4 में से 1/2–1/2 बिश्वा भूमि राममूर्ति व जसवन्त प्रतिवादी संख्या 1, 5 के नाम रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022
पर्चा डिक्री

(आर्डेर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. हंसराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 जसवन्त सिह पुत्र पृथ्वीसिह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. निको पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. मुकेश पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. राजबाला पत्नी भूराराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. राममूर्ति पत्नी दलीपसिह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. रामेश्वर पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. लीलुराम उर्फ लीलाधर पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. शान्ती पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
9. समेस्ता पुत्री भूराराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
10. जसवन्त पुत्र जगरसिह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
11. पूर्णचन्द पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
12. रतनलाल पुत्र जगरसिह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
13. रूलीचन्द पुत्र जगरसिह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
14. रामस्वरूप पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 923 सन 2022 निर्णय दिनांक– 10/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 472/433 की कुल 4.0480हैक एव रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 473/434 की कुल 15.6860हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के पास प0न0 368/413(299) किला न0 19 ,20/0.506हैक प0न0 368/414(302) किला न0 9 ,10/0.506 , व प0न0 367/414(301) किला न0 6/0.2530हैक भूमि रहेगी, प्रतिवादी संख्या 2 ,6 ,7 ,8 के पास प0न0 367/413(300) किला न0 18 ता 23/1.518हैक भूमि रहेगी, प्रतिवादी संख्या 5 के पास प0न0 368/413(299) किला न0 21 ,22/0.506हैक , प0न0 367/414(301) किला न0 5/0.2530हैक तथा प0न0 368/414(302) के किला न0 1, 2/0.506हैक भूमि रहेगी , प्रतिवादी संख्या 10 ,12 ,13 के पास प0न0 366/409(193) किला न0 24 ,25/0.506 , प0न0 366/410(196) किला न0 4 ता 7 ,14 ता 17 /2.0240हैक प0न0 367/409(192) के किला न0 17 ता 24/2.0240हक प0न0 367/410(197) किला न0 1 ता 4 ,7 ता 14 ,17 ता 20/4.0480हैक कुल 8.602हक भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 14 के पास प0न0 367/414(301) किला न0 14 ,15 ,16 ,25/1.012हैक , प0न0 368/414(302) किला न0 21/0.2530 कुल 1.265हैक भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 11 के पास प0न0 368/414(302) किला न0 11 ,12, 19 ,20 ,22/1.2650हैक भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 3 ,4व 9 के पास प0न0 367/413(300) किला न0 16/1 की 0.228हैक 16/2 की 0.025हैक गै0मु0रास्ता , 17/0.2530 ,24/0.2530 ,25/1 की 0.228, 25/2 0.025हैक गै0मु0रास्ता तथा प0न0 367/301(301) किला न0 2 ता 4, 8 ,9/2.0227हैक भूमि रहेगी तथा वादी के पास प0न0 367/414(301) किला न0 7 ,12 ,13 ,17 ,18 ,19 ,22 ,23, 24/2.2770हैक भूमि रहेगी तथा प0न0 367/414(301) किला न0 6 दक्षिण दिशा में 1 बिस्वा रास्ता रहेगा इसके बदले में किला न0 7 व 4 में से 1/2–1/2 बिश्वा भूमि राममूर्ति व जसवन्त प्रतिवादी संख्या 1,5 के नाम रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)